

दिनांक 03.08.2026 को जनपद मेरठ में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों की प्रगति एवं भूमि अनुपलब्ध/विवादित पेयजल योजनाओं की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त :-

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद मेरठ में कार्यों की प्रगति एवं भूमि अनुपलब्धता एवं विवाद के कारण प्रभावित पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु दिनांक 03.08.2026 को मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। उक्त वीडियो में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे:-

1. उपजिलाधिकारी, मेरठ।
2. उपजिलाधिकारी, मवाना।
3. उपजिलाधिकारी, सरधना।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ।
5. जिला विकास अधिकारी, मेरठ।
6. खण्ड विकास अधिकारीगण जानी बुजुर्ग, रजपुरा, सरूरपुर, परीक्षितगढ़, हस्तिनापुर, मवाना एवं माछरा।
7. सम्बन्धित ग्राम सचिव एवं ग्राम प्रधान रहावती एवं रामपुर घोरिया, पाली, सैदीपुर उर्फ रामनगर, अटौरा, खेड़की जदीद, नंगला साहू, अमीनाबाद उर्फ बड़ा गाँव तथा तिगरी।
8. श्री उमेश सिंह, सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
6. श्री अभिनव गुप्ता, जिला समन्वयक, मै० मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा० लि० (डी०पी०एम०यू०), मेरठ।
7. श्री गौरव शर्मा, मै० पावर मैक प्रोजेक्ट्स-भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन (जे०वी०)।
8. श्री प्रदीप, मै० पावर मैक प्रोजेक्ट्स-भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन (जे०वी०)।
9. श्री नीरज शर्मा, मै० पावर मैक प्रोजेक्ट्स-भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन (जे०वी०)।

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा निर्गत जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद मेरठ में ग्रामीण क्षेत्रों को पाइप पेयजल योजनाओं से आच्छादित करने हेतु "मै० पावर मैक प्रोजेक्ट्स-भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन (जे०वी०), हैदराबाद" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। जनपद मेरठ में कुल "472 ग्रामों" का चयन किया गया, जिनके सापेक्ष "332 डी०पी०आर०" तैयार कर शासन को प्रेषित की गई। राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा सभी 332 डी०पी०आर० स्वीकृत की जा चुकी हैं। योजनाओं की गुणवत्ता एवं प्रगति का अनुश्रवण टी०पी०आई० एवं विभागीय अभियन्ताओं द्वारा किया जा रहा है। जनपद में टी०पी०आई० के रूप में "मै० आर०वी० एसोसिएट्स" तथा डी०पी०एम०यू० के रूप में "मै० मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्रा० लि०" कार्यरत है।

पेयजल योजनाओं के कार्यों की प्रगति:-

जनपद में स्वीकृत 332 नग पेयजल योजनाओं की डी०पी०आर० के सापेक्ष 326 नग पेयजल योजनाओं के कार्य प्रगति पर है। स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत कुल 340 नग टयूबवैल, 309 नग ओवर हैड टैंक, 340 नग पम्प हाऊस, 3025 कि०मी० पाइप लाईन, 2,28,820 नग हाउस कनेक्शन आदि निर्माण कार्य स्वीकृत है।

पूर्ण की स्थिति:-

वितरण प्रणाली की प्रगति	अवर जलाशय की प्रगति	नलकूप की प्रगति	गृह संयोजन की प्रगति नग	हर घर जल सर्टिफिकेट ग्राम	टिप्पणी
प्रस्तावित-3025 कि०मी० प्रगति-2954 कि०मी० (97.65% पूर्ण)	प्रस्तावित-309 नग पूर्ण-300 नग/ 2 नग (75-95%)	प्रस्तावित-340 नग पूर्ण-334 नग	प्रस्तावित-2,28,820 प्रगति-2,19,086 (95.74%)	333	326 नग योजनाओं (457 नग ग्रामों) के सापेक्ष 259 नग योजनाओं के कार्य पूर्ण हैं तथा 70 नग योजनाओं के कार्य प्रगति में हैं।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 286 नग पेयजल योजनाओं पर नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है, जिसमें से 259 नग पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण एवं संचालन का अनुबन्ध गठित कर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है तथा 27 नग योजनाओं के कार्य पूर्ण कर नियमित पेयजल आपूर्ति की जा रही है जिन्हें अनुरक्षण एवं संचालन के अन्तर्गत लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। शेष योजनाओं पर भूमि अनुपलब्धता एवं विवाद के कारण कार्य अद्यतन प्रारम्भ नहीं हो सके हैं।

भूमि अनुपलब्धता एवं विवादों की स्थिति :-

खण्ड स्तर से सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि 14 नग पेयजल योजनाओं पर भूमि अनुपलब्धता/विवादित की स्थिति है। खण्ड स्तर से सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं, जूनियर इंजीनियर एवं मै० पावर मैक प्रोजेक्ट्स भूरत्नम कन्स्ट्रक्शनस (जे०वी०), के प्रतिनिधियों द्वारा सम्बन्धित तहसीलों (मेरठ, मवाना एवं सरधना) में SLSSC से स्वीकृत डी.पी.आर. के सापेक्ष अनुपलब्ध भूमि व विवादित स्थल के निस्तारण हेतु राजस्व विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से नियमित सम्पर्क किया जा रहा है। वर्तमान में योजनाओं के निर्माण हेतु अनुपलब्ध, विवादित भूमि में विवाद का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	तहसील	अनुपलब्ध भूमि	विवादित स्थल
1	मेरठ	2	—
2	सरधना	—	1
3	मवाना	4	7
	कुल	6	8

उक्त पर मुख्य विकास मेरठ द्वारा तहसीलवार वी०सी० के माध्यम से समीक्षा की गयी, जिसकी स्थिति से अवगत कराते हुए निम्नानुसार निर्देशित भी किया गया:-

तहसील मेरठ के अन्तर्गत ग्राम जानी बुजुर्ग:- सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि उपलब्ध करायी गयी भूमि तालाब के साथ है, जिसकी 02-03 मी० गहराई होने के कारण तालाब व ग्राम का अपशिष्ट पानी मरा रहता है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा दूसरी जमीन दिलाने हेतु उपजिलाधिकारी मेरठ को निर्देशित किया गया।

तहसील मेरठ के अन्तर्गत ग्राम मुजफ्फरनगर सैनी:- सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि तहसील स्तर से दिखाई गयी भूमि पाइप पेयजल योजना के जलकल प्रांगण हेतु पर्याप्त नहीं है तथा ग्राम में अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त भूमि भी पुरातत्व विभाग की है। उपजिलाधिकारी मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम में मन्दिर के पास जमीन बतायी गयी है, जिसका स्थलीय निरीक्षण करने हेतु मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा जल निगम (ग्रामीण) एवं फर्म के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया।

तहसील सरधना के अन्तर्गत ग्राम पाली:- सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम खेड़ा एवं ग्राम पाली की सम्मिलित पाइप पेयजल योजना की डी०पी०आर० विरचित की गयी है। ग्राम खेड़ा में उपयुक्त भूमि मिलने के कारण उच्च जलाशय, नलकूप इत्यादि का कार्य कराया गया है। ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों पाली द्वारा पृथक से उच्च जलाशय की मांग करते हुए वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि उपजिलाधिकारी सरधना के साथ समन्वय स्थापित कर उक्त विवाद का निस्तारण शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

तहसील मवाना के अन्तर्गत ग्राम ललियाना एवं बोहड़पुर:- सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम ललियाना एवं बोहड़पुर में अद्यतन भूमि अनुपलब्ध है, जिसके मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा शीघ्र उपयुक्त भूमि उपलब्ध कराने हेतु उपजिलाधिकारी, मवाना को निर्देशित किया गया।

तहसील मवाना के अन्तर्गत ग्राम अफज़लपुर उर्फ रानी नंगला:- सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम अफज़लपुर रानी नंगला में तहसील स्तर से उपलब्ध करायी गयी भूमि पर जाने हेतु रास्ता नहीं है तथा ग्राम में अन्य कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, जिसके लिए वी०सी० के दौरान द्वारा श्री सचिन चौधरी, नायब तहसीलदार को उपजिलाधिकारी मवाना के माध्यम से निर्देशित किया गया कि तीन दिन के अन्दर उक्त उपलब्ध करायी गयी भूमि पर पर्याप्त रास्ता उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

तहसील मवाना के अन्तर्गत ग्राम रहावती एवं रामपुर घोरिया:- सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों द्वारा करने नहीं दिया जा रहा है, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपजिलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि ग्राम प्रधान व ग्रामवासियों के साथ बैठक कर विवाद का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।

तहसील मवाना के अन्तर्गत ग्राम पाली:- सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम नंगला चाँद एवं ग्राम पाली की सम्मिलित पाइप पेयजल योजना की डी०पी०आर० विरचित की गयी है। ग्राम नंगला चाँद में उपयुक्त भूमि मिलने के कारण उच्च जलाशय, नलकूप इत्यादि का कार्य कराया गया है। ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों पाली द्वारा पृथक से उच्च जलाशय की माँग करते हुए वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। ग्राम प्रधान पाली को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य में किसी प्रकार की बाधा न डालें तथा फर्म को निर्देशित किया गया कि दिनांक 04.08.2026 से ग्राम में कार्य प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें।

तहसील मवाना के अन्तर्गत ग्राम सैदीपुर रामनगर:- सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम बली एवं ग्राम सैदीपुर उर्फ रामनगर की सम्मिलित पाइप पेयजल योजना की डी०पी०आर० विरचित की गयी है। ग्राम बली में उपयुक्त भूमि मिलने के कारण उच्च जलाशय, नलकूप इत्यादि का कार्य कराया गया है। ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों सैदीपुर उर्फ रामनगर द्वारा पृथक से उच्च जलाशय की माँग करते हुए वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपजिलाधिकारी एवं सम्बन्धित ग्राम प्रधान को निर्देशित किया गया कि ग्रामवासियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उत्पन्न विवाद का शीघ्र निस्तारण कराकर वितरण प्रणाली का कार्य तत्काल प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें, जिससे योजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके।

तहसील मवाना के अन्तर्गत ग्राम अटौरा:- सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम साधन एवं अटौरा की सम्मिलित पाइप पेयजल योजना की डी०पी०आर० विरचित की गयी है। ग्राम साधन में उपयुक्त भूमि मिलने के कारण उच्च जलाशय, नलकूप इत्यादि का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। ग्राम साधन एवं ग्राम अटौरा को

जोड़ने हेतु मुख्य लाईन (1400 मी०) का कार्य शेष है। ग्राम साधन एवं ग्राम अटौरा के ग्रामवासियों द्वारा विरोध उत्पन्न किये जाने के कारण उक्त कार्य लम्बित है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा उपजिलाधिकारी एवं सम्बन्धित ग्राम प्रधान को निर्देशित किया गया कि ग्रामवासियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उत्पन्न विवाद का शीघ्र निस्तारण कराकर वितरण प्रणाली का कार्य तत्काल प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें, जिससे योजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके।

तहसील मवाना के अन्तर्गत ग्राम खेड़की जदीद:- सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम जन्धेड़ी एवं खेड़की जदीद की सम्मिलित पाइप पेयजल योजना की डी०पी०आर० विरचित की गयी है। ग्राम जन्धेड़ी में उपयुक्त भूमि मिलने के कारण उच्च जलाशय, नलकूप इत्यादि का कार्य कराया गया है। ग्राम खेड़की जदीद में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि द्वारा कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। वी०सी० के दौरान ग्राम प्रधान खेड़की जदीद द्वारा कार्य प्रारम्भ करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

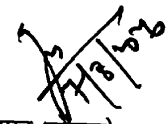
तहसील मवाना के अन्तर्गत ग्राम नंगला साहू:- सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम नवीपुर अमानतनगर एवं ग्राम नंगला साहू की सम्मिलित पाइप पेयजल योजना की डी०पी०आर० विरचित की गयी है। ग्राम नवीपुर अमानतनगर में उपयुक्त भूमि मिलने के कारण उच्च जलाशय, नलकूप इत्यादि का कार्य कराया गया है। ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों नंगला साहू द्वारा पृथक से उच्च जलाशय की माँग करते हुए वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा उपजिलाधिकारी एवं सम्बन्धित ग्राम प्रधान को निर्देशित किया गया कि ग्रामवासियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उत्पन्न विवाद का शीघ्र निस्तारण कराकर वितरण प्रणाली का कार्य तत्काल प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें, जिससे योजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके।

तहसील मवाना के अन्तर्गत ग्राम अमीनाबाद उर्फ बड़ा गाँव:- सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम कैलीरामपुर एवं ग्राम अमीनाबाद उर्फ बड़ा गाँव की सम्मिलित पाइप पेयजल योजना की डी०पी०आर० विरचित की गयी है। ग्राम कैलीरामपुर में उपयुक्त भूमि मिलने के कारण उच्च जलाशय, नलकूप इत्यादि का कार्य कराया गया है। ग्राम प्रधान एवं ग्रामवासियों अमीनाबाद उर्फ बड़ा गाँव द्वारा पृथक से उच्च जलाशय की माँग करते हुए वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इस पर मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा उपजिलाधिकारी एवं सम्बन्धित ग्राम प्रधान को निर्देशित किया गया कि ग्रामवासियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उत्पन्न विवाद का शीघ्र निस्तारण कराकर वितरण प्रणाली का कार्य तत्काल प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें, जिससे योजना को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके।

तहसील मवाना के अन्तर्गत ग्राम तिगरी:- सम्बन्धित अभियन्ता एवं फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम कौल एवं तिगरी की सम्मिलित पाइप पेयजल योजना की डी०पी०आर० विरचित की गयी है। ग्राम कौल में उपयुक्त भूमि मिलने के कारण उच्च जलाशय, नलकूप इत्यादि का कार्य कराया गया है। मुख्य विकास अधिकारी महोदया व जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान को समझाने उपरान्त ग्राम तिगरी में कार्य प्रारम्भ हो गया था किन्तु ग्राम प्रधान व ग्रामवकार्यासियों द्वारा तिगरी में पृथक से उच्च जलाशय की माँग करते हुए पुनः वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। वी०सी० के दौरान मुख्य विकास अधिकारी महोदया द्वारा उपजिलाधिकारी, मवाना को पुलिस बल लगाकर कार्य प्रारम्भ करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ द्वारा निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कार्यदायी संस्था, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम सचिव एवं ग्राम प्रधान आपसी समन्वय स्थापित करते हुए उक्त सभी विवादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त सभी विवादित/भूमि अनुपलब्धता वाले ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जा सकें।

अन्त में सभी का आभार व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी द्वारा बैठक का समापन किया गया।


(नूपुर गोयल)
मुख्य विकास अधिकारी
मेरठ

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।

पत्रांक 3519

/ पेय-71

/ 657

दिनांक 10/08/2016

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल, मल्टीपरपोज हॉल, किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ।
3. मुख्य अभियन्ता (मेरठ क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), मेरठ।
5. जिलाधिकारी, मेरठ।
6. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
7. उपजिलाधिकारी, मेरठ/सरधना/मवाना।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, मेरठ।
9. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मेरठ।
10. समस्त सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर (खण्डान्तर्गत)।
11. मै० आरवी एसोसिएट्स (टी०पी०आई०), मेरठ।
12. मै० मेघज टैक्नो कॉन्सेप्ट प्रा०लि० (डी०पी०एम०यू०), मेरठ।
13. मै० पावर मैक प्रोजेक्ट्स-भूरत्नम कन्स्ट्रक्शन (जे०वी०)।


अधिशासी अभियन्ता